न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 240 / 2019 (33 / 19)
दायर दिनांक :– 23.07.2019

अनवान

श्रीमति सोहनी देवी पत्नि सोहनलाल मीणा नि. मोरला तह. जहाजपुर

प्रार्थीया.....

बनाम

1. श्रीमति शरमा देवी पत्नि रामकुंवार मीणा नि. मोरला तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अंजनी कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीया,
2. श्री मनोज कुमार वर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी सं. 1

:: आदेश :: दिनांक 11.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीया की कब्जे काश्त में ग्राम उँचा प. ह. उँचा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आराजी न. 643 / 1 रकबा 02.13 बीघा कृषि आराजी स्थित है। प्रार्थी के खेत व आम रास्ते के मध्य इस भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं. 1 की आराजी सं. 646 स्थित है। प्रार्थिया के खेत में आने जाने का एक मात्र रास्ता करीब 30 फीट चौडा स्थित है। जो आ. स. 646 की दक्षिणी मेड पर होकर निकलता है। जिस पर होकर निरन्तर निर्बाध रूप से प्रार्थिया अपने खेत पर स्वंय मवेशी एवं ट्रेक्टर सहित आती जाती रहती हैं इस रास्ते अलावा प्रार्थिया के इस खेत मे आने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थिया के खेत पर आने जाने का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से कई बार अप्रार्थी सं. 1 अपनी भुमि पर कांटों की बाड लगाकर रास्ते को बद कर देते है। इस कारण प्रार्थिया को अपने खेत पर आने जाने में परेशानी उठानी पडती है। इस कारण प्रार्थिया के खेत पर आने जाने के उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीया इस रास्ते का उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से कर रहे हैं। मौके पर रास्ता 30 फिट चौडा है। प्रार्थीया को अपनी कृषि आराजी में आने जाने कृषि उपकरण ले जाने के लिये उक्त रास्ते में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। जिसे अप्रार्थी सं. 1 जिसने रास्ता को रोक दिया हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर आ.न. 646 में से 30

फीट चौडा रास्ता देने व उक्त रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की और से जवाब पेश कर निवेदन किया गया की प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में आराजी सं. 643/1 रकबा 2.13 बीघा होना स्वीकार हैं। बाकी शेष तथ्य मनगढन्त झुठे होकर अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 2 उक्त जमीन का राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है उक्त जमीन मैने काटो की बाड लगा रखी है। जो उनके यानी प्रार्थिया के जमीन क्रय करने पूर्व बाड थी आज भी बाड जबरदस्ती मे जलील करने के लिये रास्ता निकालना चाहती हैं। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 3 में प्रार्थिया ने लिखा कि रास्ते को बन्द करने की धमकिया भी देते है जब मेरे खेत में रास्ता बन्द तो किस बात की धमकिया देते है जबकि प्रार्थिया की जमीन को लिये एक डेड साल हुआ उससे पूर्व ही मुझ प्रार्थीया की जमीन वाद में नया रास्ता निकालना चाहते हैं जमीन को हडपना चाहते हैं। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 4 में मुझ प्रार्थिया के खेत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। जबकि उक्त रास्ता आ.न. 644, 645 से होकर निकलते आ रहे हैं केवल जलील एवं परेशान करने की नियत से एंव जमीन को हडपने की नियत से यह घिलोना कार्य कर रहे है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।

प्रार्थीया की आराजी न. 643/1 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2019/1464 दिनांक एवं 05.11.2019 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम उँचा प. ह. उँचा तह. जहाजपुर में आराजी न. 643/1 रकबा 02.13 बीघा में आने जाने के लिये 13 फिट चौडा रास्ता आ. न. 646 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 646 में से रकबा 0.03 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रार्थिया को अप्रार्थी सं. 1 के खेत से लगती हुई आराजी से रास्ते में जितनी भूमि जावेगी। उतनी ही भूमि यानि 0.03 बीघा प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तथा रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:38:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: